

न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का खोखर
बनाम

अप्रार्थी :- श्री बजरंग, सुखाराम, शिवजी पि0 गंगाराम जाति खाती निवासी खोखर
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 8/17

निर्णय

दिनांक 29.06.2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खोखर ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थियों द्वारा सवत् 2073 में सरहद खोखर के खसरा नम्बर 16 किस्म गै.मु.खेल मैदान में रकबा 0.01 है. भूमि में गोबर का घर बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी के चाचा मोहनलाल से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी दिनांक 29.06.17 को अनुपस्थित रहा है इसलिए एकतरफा कार्यवाही की जाती है।।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मौजा खोखर के खसरा नम्बर 16 किस्म गै.मु.खेल मैदान में रकबा 0.0001 है. की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थियों द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0001 है. भूमि के 0.025 रूपये लगान का 50 गुणा 10/- अक्षरे दस रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार परबतसर

17-18
पत्रावली के पृष्ठ सं. 101
अतिक्रमण की रकबा 0.01


तहसीलदार परबतसर